बाल श्रम पर पुस्तिका

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

विषय सूची

1. परिचय 01

2. बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 01

3. बाल श्रम की परिभाषा 02

4. बाल श्रम के कारण 03

5. मिथक और तथ्य 03

6. बाल श्रम पर आंकड़े 05

7. भारत सरकार का दृष्टिकोण 06

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 07

8. बच्चे/किशोर के आयु सत्यापन से संबंधित विवाद 13

9. तकनीकी सलाहकार समिति की भूमिका 13

10. जिलाधिकारी की भूमिका 13

11. अधिनियम के तहत अपराध और दंड 14

12. बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष 15

संकटपूर्ण (खतरनाक) काम क्या है? 01

1. परिचय:

बाल श्रम एक जटिल मुद्दा है, जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। हालांकि बाल श्रम एक अप्रिय स्थिति है, किन्तु हमारे देश में सामाजिक-आर्थिक मजबूरियों के कारण जारी है। गरीबी के कारण, कई माता-पिता अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं, ताकि घरेलू आय में जो कमी है, वह पूरी हो जाए। बाल श्रम से प्राप्त आय, हालांकि बहुत कम है, लेकिन कभी-कभी परिवार के भरण-पोषण का आवश्यक आधार होती है| एक तरफ, ऐसे बच्चे हैं, जो परिवार या कुटुंब के उद्यम/व्यवसाय में हाथ बंटाते हैं और मदद करते हुए काम सीखते हैं; ऐसा करते समय उनकी पढाई-लिखाई, मनोरंजन, खेल-कूद आदि में कोई बाधा नहीं आती, वहीँ दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी हैं, जो परिवार की आय के लिए प्राय: जोखिम भरी जगहों, कारखानों और रोजगार के अन्य स्थानों पर काम करते हैं, जिससे उनका बचपन उनसे छिन जाता है और ऐसा होना कानून द्वारा प्रतिबंधित है|

बच्चे द्वारा किया जाने वाला हर शारीरिक और मानसिक श्रम उसे बाल मजदूर नहीं बनाता, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाये| काम में बच्चों या किशोरों की भागीदारी, जिससे उनकी पढाई-लिखाई, मनोरंजन, खेल-कूद, शारीरिक-मानसिक विकास और स्वास्थ्य या कल्याण में कोई बाधा नहीं आती, आम-तौर पर कुछ सकारात्मक माना जाता है| इनमें निम्न गतिविधियाँ शामिल हैं - घर के कामों में अपने माता-पिता को सहयोग देना, पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना या अपने खाली समय में स्कूल के घंटों के बाद और स्कूल की छुट्टियों के दौरान स्वतंत्रतापूर्वक अन्य कामों /व्यवसायों से जुड़कर पॉकेट मनी अर्जित करना| यहाँ बालकों के काम का लक्ष्य मात्र धनार्जन नहीं होता| उनके साथ मानवीय व्यवहार होता है, वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं, परिवार के कल्याण में योगदान देते हैं तथा स्वतंत्रता के साथ खेलते-कूदते, सीखते, समझते, खुद को विकसित करते हुए अपने बचपन का सुख पाते हैं, स्किल्स सीखते हैं| कौशल और अनुभव उनकी मदद करते हैं कि वयस्क होने पर वे एक नागरिक के रूप में सामाजिक जीवन में अपना समुचित योगदान दे सकें|

2. बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

भारत का संविधान बच्चों को सुरक्षा और विकास के अवसर प्रदान करता है| अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित के लिए विशेष सुविधाएं जुटाने की शक्ति प्रदान करता है-

"इस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को कुछ भी नहीं रोक सकता|"

बाल श्रम के सम्बन्ध में, संविधान के तीन विशिष्ट अनुच्छेदों को समझना महत्वपूर्ण है| अनुच्छेद 21 (क) के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा| अनुच्छेद 24 कारखानों और खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत तय करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं होगा|

यह अनुच्छेद नीचे दिये गए हैं:

अनुच्छेद 21 (क): शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है - राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है|

अनुच्छेद 24: बालकों के नियोजन का प्रतिषेध - 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है|

अनुच्छेद 39 (च): राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमता का दुरुपयोग न हो, बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो और आर्थिक जरूरत के कारण नागरिक अपनी उम्र तथा क्षमता से मेल नहीं खाने वाले व्यवसायों में आने के लिए बाध्य न हों|

अनुच्छेद 39 (छ): बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएँगी तथा बचपन एवं यौवन को नैतिक और भौतिक दुरुपयोग से बचाया जायेगा|

3. बाल श्रम की परिभाषा:

बाल श्रम को सेव द चाइल्डहुड फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में परिभाषित किया गया है, जैसा कि, "बाल श्रम किसी बालक को काम पर लगाने की ऐसी प्रणाली है, जिसमें उस बालक को या उस बालक पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का भुगतान या लाभ देने के लिए उस बालक के माध्यम से किसी व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करनी होती है|" (डब्ल्यू०पी० (सी०आर०एल०) नंबर 2069/2005)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई०एल०ओ०) के अनुसार, 'बाल श्रम' शब्द को अकसर ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है| बच्चों के काम करने के सन्दर्भ में आई०एल०ओ० ने निम्न बातें उद्धृत की हैं:

- बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास का हनन करता है तथा उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है; और
- उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है;
- बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करता है;
- उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है;
- आवश्यकता से अधिक समय तक तथा अपनी क्षमता से अधिक काम करने के कारण अनेक बार काम और स्कूल की उपस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है

4. बाल श्रम के कारण:

- **गरीबी** – बाल श्रम में योगदान देने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है| वास्तव में यह कहना अधिक बेहतर होगा कि ये दोनों घटक 'गरीबी और बाल श्रम' एक-दूसरे के प्रसार को बढ़ावा देते हैं|
- कठिन पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बाल श्रम की ओर ले जाती हैं| उदाहरण के लिए, जहाँ बच्चा एकल माता-पिता की संतान है या बच्चे के माता-पिता बीमारी के कारण अक्षम हैं|
- शिक्षा का निम्न स्तर और शिक्षा के बारे में परिवार की अज्ञानता भी बाल श्रम में योगदान का एक कारण है| माता-पिता असिक्षित हैं और शिक्षा के मूल्यों को समझने में अक्षम हैं|
- सामाजिक बहिष्कार – यह अभी भी हमारे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में होता है, जहाँ निम्न जाति/वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल में प्रवेश करना और शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें उच्च जाति के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं है|
- प्रवासन (स्थान-परिवर्तन) – यदि परिवार की आय कम है और वे काम के लिए अकसर या मौसमी रूप से पलायन करते रहते हैं, तो बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता| इन स्थितियों में बच्चे अकसर स्कूल छोड़ देते हैं और अपने माता-पिता के साथ काम करते हुए देखे जाते हैं| ऐसा ज्यादातर निर्माण स्थलों में होता है; जहाँ माता-पिता निर्माण पूरा होने के समय तक अस्थायी आश्रयों में रहकर काम करते हैं और फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं|
- लिंग भेदभाव – भारत में बाल श्रम को समर्थन देने का एक प्रमुख कारण लैंगिक असमानता भी है, जहाँ लोग सोचते हैं कि लड़के को शिक्षित करना जरूरी है; क्योंकि आने वाले वर्षों में वह परिवार को योगदान देगा| लड़की तो शादी होने के बाद बाहर चली जायेगी और इसीलिए भेदभाव किया जाता है|
- बिखरा हुआ, दुखी, निराश परिवार भी बाल श्रम में अपना योगदान देते हैं| शराब की खपत, जुआ और घरेलू हिंसा से जुडे ज्यादातर परिवार अकसर सामान्य और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम नहीं होते और इसीलिए उस परिवार के बच्चों को अतिरिक्त आय के लिए काम करना पड़ता है|

5. मिथक और तथ्य:

मिथक - एक बच्चा घर पैसे भेजने के लिए काम करता है, जिससे घरेलू आय में जो कमी है, वह पूरी हो जाये|

तथ्य - हाँ ! बहुत से बच्चे इसलिए भी शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता की आय परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरने में पूरी नहीं पड़ती और अकेले माता-पिता को किसी की मदद की जरुरत होती है|

मिथक [1]- माता-पिता के जीवित न होने के कारण बच्चे मुख्यत: काम करते हैं|

तथ्य - यह सच नहीं है| 1000 बाल श्रमिकों में से केवल 3 अनाथ हैं|

मिथक [2]- बाल श्रम का हर रूप हानिकारक है|

तथ्य – यह सच नहीं है| जिन कामों में बच्चे शामिल हैं, वे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और यह आवश्यक नहीं कि बच्चों द्वारा किये जाने वाले सभी काम उनके लिए हानिकारक हों तथा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए| उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा या किशोर ऐसे किसी काम में शामिल होता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता या काम करते हुए उसे स्कूल जाने या पढने-लिखने में कोई बाधा नहीं आती, तो ऐसे काम को आम-तौर पर स्वीकार्य माना जाता है| यह माना जाता है कि इस प्रकार के कार्य बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनका व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि वे परिवार के कल्याण में भी योगदान देते हैं|

मिथक - अधिकाँश बाल मजदूर कारखानों में काम करते हैं|

तथ्य - नहीं, यह सच नहीं है| आई०एल०ओ० के वैश्विक अनुमान बताते हैं कि 5 से 17 आयु वर्ग के बीच के 58.6% बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं; 6.9% बाल श्रमिक घरेलू काम करते हैं, 7.2% औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें खनन, विनिर्माण और निर्माण शामिल हैं, तथा 25.4% बाल श्रमिक खुदरा व्यापार, रेस्तरां और परिवहन आदि में अपनी सेवाएं देते हैं| अकसर, ज्यादातर लोग बच्चों के बारे में सुनते हैं कि वे मिठाई की दुकान और कारखानों में काम करते हैं, लेकिन बाल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या कृषि कार्य में भी देखी जा सकती है| अकसर बहुत गरीब व्यक्ति के जीवन का निर्वाह कृषि क्षेत्र/ खेती से होता है|

मिथक – बाल मजदूरी केवल गरीब देशों में मौजूद है|

तथ्य - नहीं, ऐसा नहीं है| बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है| बाल श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या एशिया और प्रशांत क्षेत्र (77.7 मिलियन) में पाई जाती है, यद्यपि उप-सहारा अफ्रीका में बाल मजदूरी की घटनाओं की दर सबसे अधिक है, जिसमें 5 से 17 आयु वर्ग के बीच के 21% बच्चे इस तरह के अभ्यास में शामिल हैं|

लेकिन इन क्षेत्रों से परे भी, बाल श्रम एक मुद्दा है| बाल श्रम में शामिल 168 मिलियन बच्चों में से 12 मिलियन बच्चे उच्च या मध्यम आय वाले देशों में हैं|

मिथक - बढती अर्थव्यवस्था के लिए बाल मजदूरी आवश्यक है|

तथ्य - यह हमारी अपनी विचारधारा है| कपड़ा उद्योग, कारखानों, निजी घरों (10.5 मिलियन बच्चे घरेलू कामगार हैं) या अन्य स्थानों पर बाल श्रमिकों को काम करते देखकर हम मान लेते हैं कि प्रमुख अर्थव्यवस्था का निर्माण आंशिक रूप से बाल श्रमिकों से ही हुआ है और इसीलिए बढती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सुचारू रूप से सञ्चालन के लिए सस्ते श्रम का होना हमें आवश्यक लगने लगा है|

---

[1] बाल श्रम के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं- कैलाश सत्यार्थी के साथ बातचीत में।

[2] http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--en/index.html

यद्यपि यह बात सच नहीं है| आई०एल०ओ० का तर्क है कि बढती अर्थव्यवस्थाओं को फलने-फूलने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है| यदि हम एशिया, दक्षिण अमेरिका और अन्य कई देशों को देखें, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए तेजी से विस्तार किया है| शिक्षा में निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है

मिथक - बाल मजदूरी करने वाले बालक को कार्य करते-करते उसमें कौशल प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वयस्क होने पर उसे उपयुक्त वेतन पर काम मिल जाता है |

तथ्य - यह सच नहीं है| बाल श्रम की स्थिति पर 2015 की आई०एल०ओ० रिपोर्ट में बाल श्रमिकों पर होने वाले दीर्घकालीन प्रभावों की जांच की गई है| इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो बच्चे मजदूरी कर रहे थे, उसके क्या परिणाम थे| शोध में पाया गया कि वे युवा, जिन्होंने पहले कभी बाल मजदूरी की थी, वे स्कूल छोड़ चुके थे तथा या तो बिना वेतन के घरेलू काम कर रहे थे या उन्हें बहुत कम भुगतान किया जा रहा था| बहुत से ऐसे बच्चे जोखिम भरे कामों में लगे हुए थे, जिनकी अवस्था कामकाज की सामान्य न्यूनतम उम्र 15 से कम थी| ये बच्चे अशिक्षित थे और सदैव शोषित होते रहे थे, इसलिए वयस्क होने पर उपयुक्त काम और सम्मान नहीं पा सके तथा उन्होंने न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम वेतन पर काम किया|

6. बाल श्रम पर आंकड़े

जनगणना के अनुसार

1971	10753985
1981	13640870
1991	11285349
2001	12666377
2011	4353247

7. भारत सरकार का दृष्टिकोण

वर्ष **1979** में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या को समझने और उससे निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु **'गुरुपादस्वामी समिति'** का गठन किया था| समिति ने विस्तार से समस्या का परीक्षण किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं| समिति ने पाया कि जब तक गरीबी बनी रहेगी, तब तक बाल-मजदूरी को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं होगा और इसलिए किसी कानूनी उपाय के माध्यम से उसे समूल मिटाने का प्रयास व्यावहारिक रूप से कोई समाधान नहीं होगा| समिति ने महसूस किया कि इन परिस्थितियों में खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना और अन्य क्षेत्रों में काम की परिस्थितियों में सुधार लाना ही एकमात्र विकल्प है| समिति ने सिफारिश की कि कामकाजी बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है|

'गुरुपादस्वामी समिति' की सिफारिशों के आधार पर, **1986** में **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम** लागू किया गया| इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी गई और अन्य स्थलों पर कामकाजी परिस्थितियों को नियंत्रित किया गया| अधिनियम के तहत गठित 'बाल श्रम तकनीकी सलाहगार समिति' की सिफारिशों के आधार पर जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची का धीरे-धीरे विस्तार किया गया|

इन कानूनी निर्देशों के अनुरूप, **1987** में बाल श्रम पर एक **राष्ट्रीय नीति** तैयार की गई| इस नीति में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित किया गया और बाल मजदूरों तथा उनके परिवारों के हित के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया| साथ ही बाल श्रम को कम करने और अंततः प्रभावी ढंग से उसको समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार किया गया तथा इस हेतु अधिक बाल श्रम वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य-योजना लागू करने पर ध्यान दिया गया| बाल श्रम की समस्या को सुलझाने के लिए नीति में दर्शाई गई कार्य-योजना निम्न है:

- बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए विधायी कार्य-योजना
- बाल श्रमिकों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना
- बाल श्रम के उच्च सकेंद्रित क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने की परिकल्पना

इस योजना के बाद, **1988** में **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी)** नामक योजना को उन 9 जिलों में लागू किया गया, जहाँ बाल श्रम गहरी जड़ जमा चुका था| इस योजना में काम से छुडाये गए बाल श्रमिकों के लिए विशेष पाठशालाएं (स्कूल) चलाने की परिकल्पना की गई है| इन विशेष स्कूलों में, इन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा, प्रति माह का वजीफा, संपूरक पोषण और नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें मुख्य धारा वाले नियमित स्कूलों में भर्ती होने के लिए तैयार किया जा सके|

20 दिसम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 'बाल अधिकार समझौते' को पारित किया गया था| भारत ने **1992** में **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि** की और इस बाल अधिकार

समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की; लेकिन बाल श्रम से संबंधित कन्वेंशन के अनुच्छेद 32 को यह कहते हुए मंजूरी दी कि,"भारत में रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना तुरंत व्यावहारिक नहीं है – अनुच्छेद 32[3] के प्रावधानों को धीरे-धीरे लागू करने के लिए भारत सरकार उपाय करेगी|"

2016 में, भारत सरकार ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में निम्नलिखित कारणों से संशोधन किया:

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, सभी बच्चों को नजदीक के स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क (मुफ्त) प्राप्त करने का अधिकार है; किन्तु बाल श्रम कानून और शिक्षा अधिनियम में विरोधाभास दिखाई दिया| एक ओर बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 ने 14 साल तक के बच्चों को गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति दी और दूसरी ओर, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बना दिया| इस विरोधाभास को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया|
- आईएलओ कन्वेंशन 138 की पुष्टि की आवश्यकता - जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम आयु 15 साल की उम्र में रोजगार में प्रवेश करने से संबंधित है|
- आईएलओ कन्वेंशन 182[4] की पुष्टि की आवश्यकता - जो बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों के उन्मूलन हेतु आवश्यक निषेध एवं तत्काल कार्यवाही से संबंधित है|

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

बालक कौन है?

वह व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है या जैसा कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्दिष्ट है; जो भी अधिक है|

[3] बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन प्रस्ताव के अनुच्छेद 32 में आर्थिक शोषण से सुरक्षा, जोखिमपूर्ण अथवा स्कूली पढाई को बाधित करने वाले या सेहत अथवा भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास को हानि पहुंचा सकने वाले कार्यों से बच्चे की सुरक्षा पर बल दिया गया है|

[4] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1999 में बाल श्रम के निकृष्ट रूपों पर प्रस्ताव संख्या 182 के अनुच्छेद 3 (क) में जोखिमपूर्ण स्थानों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "ऐसा कोई भी कार्य, जो अपनी प्रकृति के कारण या उन परिस्थितियों के कारण, जिनमें यह कार्य किया जाता है, बच्चे की सेहत, सुरक्षा या मनोबल को नुकसान पहुंचा सकता है|"

बच्चे को किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है|

बच्चा अपने परिवार या /कुटुंब के व्यवसाय में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि–

- ऐसी सहायता अधिनियम की अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध **किसी जोखिमपूर्ण व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं** होगी
- बच्चे के परिवार को परिवार के उद्यम का मालिक होना चाहिए
- बच्चा अपने स्कूल के समय के बाद और छुट्टियों के दौरान काम कर सकता है
- शाम 7 बजे और प्रात: 8 बजे के बीच काम नहीं किया जाना चाहिए

परिवार की मदद करते समय बालक किसी भी ऐसे काम में नियोजित नहीं होगा, जिससे नीचे दिये गए उसके निम्न अधिकारों में कोई हस्तक्षेप हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े -

- शिक्षा का अधिकार
- विद्यालय में उसकी उपस्थिति
- शिक्षा या उससे संबंधित गतिविधियाँ; जैसे गृह-कार्य (होमवर्क) या पाठ्यक्रम से अलग अन्य गतिविधियां

बच्चे द्वारा प्रदान की गई सहायता में निम्न बातों का भी ध्यान रखा जायेगा –

- काम के दौरान बालक को पर्याप्त आराम प्रदान किया जायेगा
- एक दिन में 5 घंटे काम लिया जा सकेगा
- बिना विश्राम किये लगातार 3 घंटे से अधिक समय तक उससे काम नहीं लिया जा सकेगा
- किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उससे काम नहीं लिया जा सकता
- उत्पादन, आपूर्ति या ऐसे किसी व्यवसाय, विनिर्माण, कारोबार या उद्योग में बच्चा सहयोग नहीं दे सकता, जिसमें बच्चे का उपयोग बच्चे को दिये जाने वाले किसी भी भुगतान या लाभ के लिए किया जाये या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए किया जाये, जो बालक पर नियंत्रण रखता है

बच्चे के परिवार में शामिल हैं -

- बच्चे के माता-पिता
- बच्चे के सगे भाई या बहन
- बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन
- बच्चे के माँ-पिता के सगे भाई या बहन

बच्चे को किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है|

बच्चे किसी श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं –

- विज्ञापन
- सिनेमा, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री), इंटरनेट, प्रश्नोत्तरी, रिएलिटी शो या टैलेंट शो जैसे टेलीविजन कार्यक्रम या रेडियो कार्यक्रम, धारावाहिक नाटक
- किसी शो या समारोह का सूत्रधार
- अन्य ऐसी मनोरंजन या खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियाँ

कलाकार का अर्थ है – एक बच्चा, जो किसी काम को अपने शौक या पेशे के रूप में करता है और ऐसे किसी भी काम में निम्न रूप में शामिल होता है –

- अभिनेता
- गायक
- खिलाडी
- ऐसी अन्य गतिविधियाँ, जिसमें बच्चा स्वयं भाग ले रहा हो
- सर्कस या आर्थिक लाभ के लिए गली मुहल्लों में आयोजित नाटकों में अभिनय जैसे कामों में बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता

कलाकार के रूप में काम करने वाले बच्चे के लिए नियम –

- विद्यालय की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए
- कोई बच्चा एक दिन में 5 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता
- बिना विश्राम किये लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता

मीडिया/प्रोडक्शन हाउस के लिए अनिवार्य प्रक्रियाएं –

- बच्चों को लेने वाले श्रव्य-दृश्य उत्पादन गृहों (प्रोडक्शन हाउस) के निर्माता अथवा किसी भी वाणिज्यिक (कमर्शियल) समारोह के प्रबंधक को बच्चों को शामिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य है

जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान किये जाने वाले विवरण -

- गतिविधि में भाग लेने वाले बालकों की सूची
- माता-पिता/अभिभावक की सहमति

बच्चे को किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है|

- बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और उनके सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार उस व्यक्ति का नाम, जिस पर उस उत्पादन या निर्धारित कार्यक्रम का दायित्व है
- बच्चों को शामिल करने के लिए उत्पादन गृहों (प्रोडक्शन हाउस) के निर्माता अथवा किसी भी वाणिज्यिक समारोह के प्रबंधक को केंद्र सरकार के नियमों में दिये गए फॉर्म 'सी' में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य है, जो जारी करने की तारीख से छह महीने तक के लिए वैध है| सभी श्रव्य-दृश्य मनोरंजन, जिसमें बच्चे शामिल हैं, शुरू करने से पहले यह कहते हुए एक खंडन जारी करेंगे कि, ... "जिनमें बच्चों को शामिल किया गया है, उसके लिए अनुमति ले ली गई है और उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके प्रति उपेक्षा तथा शोषण से उनकी सुरक्षा भारत के कानूनों को दृष्टि में रखते हुए सुनिश्चित की गई है|"

फॉर्म 'सी' में अनुमति के माध्यम से उत्पादन गृह (प्रोडक्शन हाउस)/मीडिया हाउस निम्न बातें सुनिश्चित करेगा -

- बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य
- समय पर बच्चे को पौष्टिक आहार
- दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त प्रावधान के साथ बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ आश्रय
- बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू सभी कानूनों का अनुपालन, जिसमें बच्चों का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार तथा यौन अपराधों से सुरक्षा आदि शामिल है
- बच्चे की शिक्षा के लिए उपयुक्त सुविधाएं तथा यह सुनिश्चित करना कि उसमें कोई बाधा नहीं आएगी
- विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों की सुरक्षा, देखभाल तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम 5 बच्चों पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए
- बच्चों की कमाई का 20% बच्चों के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी खाते में जमा किया जायेगा और उसके वयस्क होने पर उसके खाते में डाला जायेगा
- किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किसी भी श्रव्य-दृश्य या खेल गतिविधि में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जायेगा

किशोर कौन है?

वह व्यक्ति, जिसने अपनी आयु के 14 साल पूरे किये हैं, लेकिन वह अभी 18 साल का नहीं हुआ है|

किशोर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकते हैं

गैर-खतरनाक क्षेत्रों में किशोरों के काम करने के प्रावधान –

किशोर के काम के घंटे –

- किशोर से छह घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवाया जा सकता| इसमें आधे घंटे का अवकाश भी शामिल है
- किशोर से किसी भी दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है
- 3 घंटे के काम के उपरान्त या उससे पहले किशोर को न्यूनतम 1 घंटे का समय आराम के लिए देना आवश्यक है
- शाम 07 बजे से प्रात: 08 बजे के बीच किशोर से काम नहीं लिया जा सकता है
- काम के पूरा होने पर किशोर से कोई काम (ओवरटाइम) नहीं कराया जा सकता
- जिस दिन किशोर पहले ही किसी स्थापन्न या वर्ग में काम कर चुका है, उस दिन किशोर को किसी अन्य स्थान या वर्ग में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती

साप्ताहिक अवकाश

- किशोर को सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाना अनिवार्य है
- निर्दिष्ट अवकाश के दिन को किसी भी नियोक्ता द्वारा तीन महीने में एक बार से ज्यादा बदला नहीं जा सकता
- किशोरों के लिए निर्धारित छुट्टी का दिन नियोक्ता द्वारा एक नोटिस में बताया जाना चाहिए, जो प्रतिष्ठान में स्पष्ट दिखाई देने वाली जगह पर स्थाई रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए|

किशोर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकते हैं

निरीक्षक (इंस्पेक्टर) को नोटिस

प्रत्येक नियोक्ता/प्रतिष्ठान के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इंस्पेक्टर को एक लिखित नोटिस भेजा जाना चाहिए, जो किशोरों के प्रतिष्ठान में नियोजित होने के 30 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए| इस नोटिस में न सिर्फ इन किशोरों का विवरण होगा, बल्कि यह जानकारी भी होगी कि किन स्थानीय सीमाओं के भीतर उनका संस्थान स्थित है –

- प्रतिष्ठान का नाम और उसकी स्थिति
- प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधक का नाम
- स्थान का पता, जहाँ स्थापना से संबंधित संचार भेजा जा सकता है
- संस्थान में स्थापित व्यवसाय और प्रक्रिया की प्रकृति

रजिस्टर का रखरखाव

प्रत्येक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में काम करने के लिए नियोजित किशोर से संबंधित जानकारी के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन्न में काम हो रहा हो, तब उस सभी समय पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें निम्नलिखित तथ्य दर्शित होंगे:

- काम के लिये इस प्रकार नियोजित या अनुज्ञात किये गए हर किशोर का नाम और उसकी जन्मतिथि
- ऐसे किसी किशोर के काम करने के घंटे और समय की अवधि तथा विश्राम के वह अंतराल, जिस पर उसका अधिकार है
- ऐसे किसी भी किशोर के काम की प्रकृति, तथा
- ऐसी अन्य विशिष्टताएं, जो विहित की जायें

जहाँ किशोर काम कर रहे हों, उन प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों को बनाये रखना आवश्यक है|

8. बच्चे/किशोर के आयु सत्यापन से संबंधित विवाद:

- किशोर/बालकों की आयु निर्धारित करने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
  i. कुमार का आधार कार्ड
  ii. आधार कार्ड के अभाव में विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र, या
  iii. कुमार से संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों, और उसके अभाव में
  iv. निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा जारी किया गया कुमार का जन्म प्रमाणपत्र
- उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में आयु, 'उम्र निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अस्थिकरण परीक्षा अथवा उम्र को जांचने वाली किसी अन्य नवीनतम परीक्षण द्वारा निर्धारित की जायेगी
- निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये गए आयु प्रमाणपत्र को बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए एक निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जायेगा
- चिकित्सा अधिकारी उन किशोरों को आयु प्रमाणपत्र प्रदान कर सकते हैं, जो रोजगार में हैं या रोजगार की तलाश में हैं
- आयु का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए
- अस्थिकरण परीक्षण का आदेश समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है, जो अपर श्रम आयुक्त के पद से नीचे नहीं है
- परीक्षण जारी किये गए आदेश के 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए

9. तकनीकी सलाहकार समिति की भूमिका

बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (सीएलटीएसी) की सिफारिशों के अनुसार,

- अधिनियम की अनुसूची में अतिरिक्त व्यवसाय और प्रक्रियाएं जोड़ी जा सकती हैं
- इस समिति में एक अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्य शामिल हैं
- समिति के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है

10. जिलाधिकारी की भूमिका

- जिलाधिकारी नोडल अधिकारियों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो उसकी सभी शक्तियों या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकें और उसके सभी या किसी भी कर्तव्य को पूरा करें
- नोडल अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य सौंपना, जिन्हें वह अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर उचित समझते हैं
- जिलाधिकारी जिला स्तर पर गठित टास्क फ़ोर्स के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करें
- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चे और किशोर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कार्यरत हैं, उन्हें छुड़ाया जाए और उनका पुनर्वास किया जाये

11. अधिनियम के तहत अपराध और दंड

धारा	प्रावधान (अपराध)	दंड	जुर्माना
धारा 14 (1)	किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना * माता-पिता या अभिभावक मुक्त हैं; जब तक कि वे बच्चे को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए काम करने की अनुमति न दें	6 माह से 2 साल तक की सजा	20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों
धारा 14 (1ए)	सूची में निर्धारित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोर को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना * माता-पिता या अभिभावक मुक्त हैं, जब तक कि वे किशोर को खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं देते हैं|	6 माह से 2 साल तक की सजा	20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों
धारा 14 (1बी)	यदि बच्चे और किशोर के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध पहली बार किया जाता है	कोई नहीं	कोई नहीं
धारा 14 (2)	ऊपर वर्णित वर्गों में दिया गया अपराध यदि बच्चे और किशोर दोनों के मामले में दोहराया जाता है	कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास का दंड, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढाई जा सकती है	
धारा 14 (2ए)	यदि माता-पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध फिर से दोहराया जाता है	कोई नहीं	जुर्माना, जिसे अधिकतम 10,000 रुपये तक बढाया जा सकता है
नियोक्ता द्वारा किये गए सभी अपराध संज्ञेय हैं			

12. बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष

- राज्य सरकार एक या अधिक जिलों में बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना करेगी, जिसमें बच्चे या किशोर के नियोक्ता से जुर्माने की राशि वसूल की जायेगी तथा उस राशि को एक या अधिक जिलों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित पुनर्वास कोष में जमा किया जाएगा
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर, जब किसी बच्चे या किशोर के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुपालन हेतु अपराधों की संरचना के लिए कोई राशि वसूल की जाती है, तो वह भी कोष में जमा की जायेगी
- राज्य सरकार उन बच्चों या किशोरों के खाते में 15,000 रुपये जमा करेगी, जिनके लिए जुर्माना लगाया जाता है
- सरकार यह तय कर सकती है कि कोष में जमा पैसे का निवेश किस तरह से करना है| जमा की गई राशि या निवेश और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान बच्चे या किशोर को तब किया जाना चाहिए, जब वह 18 साल का हो जाये

निरीक्षक (इंस्पेक्टर) की भूमिका

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए -

- समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के नियमों का अनुपालन करेगा; जहाँ बच्चों का रोजगार में तथा किशोरों का खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध है
- इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा
- इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किये गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट करेगा

विशेष कार्यबल (स्पेशल टास्क फ़ोर्स)

कार्यबल का गठन एक जिले में किया जाता है, जिसमें शामिल है –

- धारा 17 के तहत नियुक्त निरीक्षक
- पुलिस अधीक्षक
- अपर जिला मजिस्ट्रेट
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी
- सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

- दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी (रोटेशन) आधार पर जिले में नियोजित (कार्यरत) बच्चों के बचाव और पुनर्वास में शामिल प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि
- जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि
- जिला दुर्व्यापार निवारण इकाई (एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट) का सदस्य
- जिले की बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष
- महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम (आई०सी०पी०एस०) के अधीन जिला बाल श्रम संरक्षण अधिकारी
- जिला शिक्षा अधिकारी
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति
- कार्यबल का सचिव कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा

कार्यबल (टास्क फोर्स) प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखेगा –

- उपलब्ध समय
- उस समय लागू कानून के अनुसार छापामारी का बिंदु
- योजना की गोपनीयता
- समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण
- अंतरिम अनुतोष (राहत)

बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से राशि का भुगतान

- बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में जमा या निवेश की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान उस बच्चे या किशोर को किया जाएगा, जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा की जाती है
- अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाये, और उस बैंक को सूचित किया जाये, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है
- बालक या कुमार के पक्ष में निधि (फंड) की आनुपातिक रकम पर जमा ब्याज को, बालक या कुमार के खाते में द्विवार्षिक रूप से उस बैंक या अधिकारी द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा, जो राशि निवेश करने के लिए जिम्मेदार है|

जब संबद्ध बालक या कुमार अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तब संभव हो सके, तो तुरंत या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में जमा या निवेश की गई कुल रकम, उस पर जमा ब्याज के साथ, बालक या कुमार के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी|

संकटपूर्ण (खतरनाक) काम क्या है?

(1) खानें

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक

(3) परिसंकटमय प्रक्रियां

स्पष्टीकरण – इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, 'परिसंकटमय प्रक्रिया' का वही अर्थ होगा, जो उसे कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के खंड (गख) में दिया गया है|

"खंड क"

संकटपूर्ण व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं, जिनमें कुमारों के काम करने तथा बालकों के मदद करने का निषेध है

(1) खानें और कोलियरी {कोयले की खान} (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य :-

- o पत्थर खानें;
- o ईंटों की भट्टियां
- o इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाएं, जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या माइका अथवा भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना, एकत्रण तथा मरम्मत करना शामिल है, अथवा
- o खुले गड्ढे की खानें

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे

- o पटाखों का उत्पादन, संग्रहण अथवा बिक्री;
- o विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना;
- o उत्पादन, प्रबंधन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, विद्युत (इलेक्ट्रो-प्लेटिंग) से संबंधित कार्य तथा अन्य किसी प्रक्रिया से संबंधित कार्य, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों, अथवा;
- o ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन;
- o प्राकृतिक गैस और अन्य संबंधित उत्पाद|

संकटपूर्ण प्रक्रियाएं (कारखाना अधिनियम, 1948 {1948 का 63} की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट नीचे उल्लिखित क्रम संख्या (3) से (31) तक):-

(3) लौह धातुकर्म उद्योग

- एकीकृत (समन्वित) लोहा और इस्पात;
- लौह मिश्र धातु;
- विशेष इस्पात;

(4) अलौह धातुकर्म उद्योग: प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनीज (सुरमे के प्रकार की एक धातु) और अल्युमीनियम

(5) ढलाईखाना {फाउंड्रीज} (लौह और अलौह):कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग:

(i) कोयला, लिग्नाइट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इर्धन (कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस सहित)

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग

(9) उर्वरक उद्योग:

(i) नाइट्रोजनयुक्त;

(ii) फोस्फेटिक

(iii) मिश्रित

(10) सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पोज्जोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)

(11) पेट्रोलियम उद्योग:

(i) तेल शुद्धिकरण

(ii) चिकनाई देने वाले तेल और ग्रीस

(12) पेट्रो-रसायन उद्योग

(13) दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स;

(14) किण्वन उद्योग (आसवन और मद्य निर्माणशाला)

(15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग)

(16) पेंट और पिगमेंट उद्योग

(17) चमड़ा उद्योग

(18) इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग

(19) रसायनिक उद्योग:

(i) कोक ओवन गौण उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद;

(ii) उद्योगिक गैसें (नाईट्रोजन, आक्सीजन, ऐसेटेलिन, ऑर्गन, कार्बन डाई आक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस);

(iii) औद्योगिक कार्बन;

(iv) क्षार और अम्ल;

(v) क्रोमेट्स और डीक्रोमेट्स;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;

(vii) इलेक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम और मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स);

(viii) इलेक्ट्रोथर्र्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक (रगड़ने वाला) कैल्शियम कारवाइड);

(ix) नाइट्रोजन कंपाउंड्स (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ);

(x) फोरफोरस और इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्म और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटकों और डिटोनेटर और फ्यूज सहित);

(20) कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाइयों के उद्योग;

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक;

(22) मानव निर्मित फाइबर (सेल्यूलोसिक और गैर सेल्यूलोसिक) उद्योग;

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत;

(24) शीशा और सिरेमिक;

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना;

(26) अभ्रक और उसके उत्पादों का निर्माण, सञ्चालन और प्रसंस्करण;

(27) वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वासा की निकासी;

(28) बेंजीन युक्त पदार्थों का निर्माण, सञ्चालन और उपयोग;

(29) कार्बन डाईसल्फाइट से संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन;

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम;

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें;

(32) परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची 1 के भाग 11 में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायनों से निपटने और प्रसंस्करण से जुड़ी प्रक्रिया

(33) बूचडखानों और कसाईखानों में कार्य, जिसके अंतर्गत गिलोटिन का कार्य भी है;

(34) रेडियोधर्मी पदार्थ, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी है, के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं;

(35) जहाज तोडना

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 की अनुसूची – ix में विनिर्दिष्ट परिसंकतमय प्रक्रियाएं|

(38) बीडी बनाने का कार्य या तम्बाकू, जिसके अंतर्गत तम्बाकू का विनिर्माण, चिपकाना और उसे सम्हालना भी शामिल है, या कोई ड्रग्स या मन:प्रभावी पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण में किसी रूप में एल्कोहल और मदिरा उद्योग और बार, पब, पार्टियों या इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर जहाँ एल्कोहलिक पदार्थ परोसे जाते हैं|

"खंड ख"

व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची, जहाँ बच्चों को परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में मदद करने के लिए निषिद्ध किया गया है (खंड 'क' के अतिरिक्त)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय –

i. रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

ii. रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा रख के गड्ढे को साफ़ करना;

iii. रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है, जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना-जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

iv. रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम, जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

v. किसी पत्तन (बंदरगाह) की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन (बंदरगाह) प्राधिकरण;

vi. ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

vii. हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;

viii. प्लास्टिक इकाइयां एवं फाइबर गिलास वर्कशॉप;

ix. घरेलू कामगार अथवा नौकर;

x. ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;

xi. गोताखोरी;

xii. सर्कस;

xiii. हाथियों की देखरेख;

xiv. विद्युतचालित बेकरी मशीन;

xv. जूता निर्माण|

प्रक्रियाएं

1. कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
2. सीमेंट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;
3. कपडा छपाई, रंगाई और बुनाई, जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
4. लाख (शीलैक) विनिर्माण;
5. साबुन बनाना;
6. ऊन की सफाई;
7. भवन और निर्माण उद्योग, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर बनाना और पॉलिश करना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
8. स्लेट पेंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
9. अगेट (सुलेमानी पत्थर 'गोमेद' रत्न) के उत्पादों का निर्माण कार्य;
10. काजू और काजू के छिलके और उतारने और उससे जुड़ी प्रक्रिया;
11. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने (सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया;
12. 'अगरबत्ती' का निर्माण;
13. ऑटोमोबाइल मरम्मत और रख-रखाव, जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है; वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क (लेथ मशीन या खराद एक मशीनी औजार) डेंटिंग एवं पेंटिंग:
14. ईंटों या खपरैलों का निर्माण;
15. रुई सूत (कपास) की कताई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;
16. डिटरजेंट का निर्माण;
17. निर्माण कार्यशालाएं (लौह और अलौह);
18. रत्न तराशना और उनकी पॉलिश करना;
19. क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्कों का रख-रखाव;
20. जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉपर निर्माण;
21. चूना भट्टा और चूना निर्माण;
22. ताला बनाना;

23. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं, जिसमें सीसा का उच्छादन होता है, जैसे सीसा लेपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेंट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खान से सीसा निकालना, नलसाजी, केवल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

24. सीमेंट पाइप तथा सीमेंट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

25. काँच, काँच के वर्तनों का निर्माण, जिसमें चूड़ियाँ, ट्यूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कांच उत्पाद शामिल हैं;

26. कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;

27. क्षयकारी एवं विषैले पदार्थों का निर्माण, प्रक्रिया एवं स्वरुप प्रदान करना;

28. जलाऊ कोयला और कोयले की ईंट का निर्माण;

29. खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण, जिसमें सिंथेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

30. तेल निष्कासन और परिष्करण;

31. कागज बनाना;

32. चीनी-मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक उद्योग;

33. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण, जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पॉलिश और वैल्डिंग शामिल है;

34. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं, जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

35. आरा मिल – सभी प्रक्रियाएं;

36. रेशम-उत्पादन के साधन जुटाना;

37. चमड़े के उत्पाद और चमड़े के सामान के निर्माण हेतु छाल उतारकर साफ़ करना, रंगाई और प्रक्रियाएं;

38. टायर निर्माण, मरम्मत, नाइ रबर चढ़ाना और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

39. बर्तन बनाना, पॉलिश करना और धातु की बर्फिंग करना;

40. 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);

41. ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

42. धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढाना;

43. हीरों की कटाई और पॉलिश;

44. कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;

45. मशीनीकृत मछली पालन;

46. खाद्य प्रसंस्करण;

47. पेय पदार्थ उद्योग;

48. मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैकिंग करने का कार्य;

49. लकड़ी सम्हालना और ढुलाई;

50. लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

51. भंडारागार कार्यकलाप;

52. मसाज पार्लर, व्यायामशाला, अथवा अन्य मनोरंजक अथवा चिकित्सा सुविधा केंद्र;

53. खतरनाक मशीनों के प्रचालन निम्नलिखित वर्गों से संबंधित हैं:-

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट;

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य

(ग) घूमने वाली मशीनें

(घ) विद्युत् प्रक्रिया

(ङ) धातु के व्यापार में प्रयुक्त मशीनी उपकरण

54. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ट) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रेस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा पुस्तक जिल्दसाजी (बुक-बाइंडिंग) का कार्य|

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)